



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, 226021
दूरभाष सं० (0522) 2732193, फैक्स सं० 2732185

पत्रांक: उ०प्र०प्रा०वि० / कुस०का० / २०१४ / १२७४३-१३४१८

दिनांक: २५ सितम्बर, २०१४

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ से सम्बंध समर्त संस्थान।

विषय— रैगिंग निषेध हेल्पलाइन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग को निषेध घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के द्वारा इस संबंध में संस्थान में रैगिंग रोकने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र सं० उ०प्र०प्रा०वि० / कुस०का० / २०१४ / ७७४४-५३ दिनांक ०७ अगस्त २०१४ के द्वारा सूचना निर्गत की जा चुकी है। यदि किसी छात्र को रैगिंग से सम्बन्धित शिकायत हो तो विश्वविद्यालय के दूरभाष सं० ०५२२-२७३२१८६ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त के अतिरिक्त यू०जी०सी०के टोल फ़ी न० १८००-१८०-५५२२ पर भी रैगिंग सम्बन्धी शिकायत कराई जा सकती है।

भवदीय

(पी०के० गंगवार)
कुलसचिव